

तारीख हुम

हुम या कार्यवाही मय लघु इस्ताधर जज

जज उ कौन  
अहकाम ज हुम  
दावा ही नके  
न लगे हय

18.10.2023

वादीगण की ओर से वकील श्री सुरेश कुमार लाम्बा एडो ने उपस्थित होकर दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम - 1955 का पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील वादीगण के निवेदन पर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकलें साधारण तरीके से एंव रजिस्टर्ड डाक मय लिफाफे/रपीड पोस्ट के जारी की जावे। पत्रावली वास्ते देखने तामिल दिनांक 08.11.2023 को पेश हो।

4-09-23  
13-10-23

(दिलीप सिंह)

उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

08-11-23 पत्रावली पेश हुई। वकालत समय परामर्श उपस्थित। पीजलोन अधिकारी दौरे/अन्य कार्व में व्यस्त/सीटिंग में हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक ~~10-11-23~~ को पेश हो।

31-1-24

इकजाई परी देने पर पत्रावली आज पेश हुई। प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व का अन्वयन का अहकार होने के कारण वादीगण का अन्वयन पत्रावली दिनांक 4-3-24 को पेश हो।

am

13.05.2024

दिनांक 04.03.2024 को इकजाई तारीख पेशी देने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण ने उपस्थित होकर उक्त प्रकरण को आगे नहीं चलाकर इसी स्तर पर विज्ञा कर खारिज किए जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील वादीगण को प्रस्तुत



नमो जेठू खबाम्द अक्षोम वर्ग

हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

तारीख  
हुकम

हावा

मुं.र. - 147/2023

नम्बर  
अहकाम  
हुकम की  
जारी हुये

प्रार्थना पत्र पर सुना गया। वकील वादीगण के निवेदन पर वाद पत्र को विद्वा किए जाने की स्वीकृति दी जाती है तथा वाद पत्र को खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।



( अनिल कुमार )  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)